न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 146/2019 दायरा दिनांक : 18.11.2019

उनवान

1– नारायण आत्मज काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– भवानीशंकर आत्मज काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– रामरतन आत्मज काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– कजोड़लाल आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– मूली बाई आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– गायत्री बाई आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– बद्रीबाई आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– बृजमोहन आत्मज गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी हाल गड़ेपान, जिला कोटा

5– लड्डूगोपाल आत्मज गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी हाल मोडक रामगंजमण्डी, जिला कोटा

(भावना राघव गुर्जर)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

6– रामकरण आत्मज गोकुल, गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

7– शांतिबाई पत्नी स्वर्गीय गोकुल, गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

8– जानकी बाई पुत्री गोकुल पत्नी गिर्राज प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी जलवाडा

9– कांतिबाई पुत्री गोकुल पत्नी सरवेश्वर, जाति ब्राहमण, निवासी ईसागढ़, मध्य प्रदेश

10– कलावती बाई पुत्री गोकुल पत्नी प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी तेलफैक्ट्री बारां, जिला बारां

11– इन्द्रा बाई पुत्री गोकुल पत्नी राजेन्द्र कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी खजुरिया मध्य प्रदेश

12– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 152/2019 **दायरा दिनांक : 27.11.2019**

उनवान

1– बृजमोहन आत्मज गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी हाल गड़ेपान, जिला कोटा

2– लड्डूगोपाल आत्मज गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी हाल मोडक रामगंजमण्डी, जिला कोटा

3– रामकरण आत्मज गोकुल, गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– शांतिबाई पत्नी स्वर्गीय गोकुल, गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5– जानकी बाई पुत्री गोकुल पत्नी गिर्राज प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी जलवाडा

(भावना राघव गुर्जर)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

6– कांतिबाई पुत्री गोकुल पत्नी सरवेश्वर, जाति ब्राहमण, निवासी ईसागढ़, मध्य प्रदेश

7– कलावती बाई पुत्री गोकुल पत्नी प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी तेलफैक्ट्री बारां, जिला बारां

8– इन्द्रा बाई पुत्री गोकुल पत्नी राजेन्द्र कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी खजुरिया मध्य प्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1– कजोड़लाल आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– मूली बाई आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– गायत्री बाई आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– बद्रीबाई आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5– नारायण आत्मज काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

6– भवानीशंकर आत्मज काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

7– रामरतन आत्मज काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

8– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां

...... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री ओ पी मेहता एवं श्री बी.एल जैन अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(भावना राघव गुर्जर)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 30.07.2020

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 26/2018 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 24.10.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 146/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया, न न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया, मनमाना व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद स्वीकार किया है एवं प्रतिवादी कम 4 लगायत 11 का प्रतिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया है, किन्तु प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 का जवाब दावे के साथ प्रस्तुत प्रतिदावा पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 के हिस्से से 12 बीघा 9 बिस्वा हिस्से का बेचान मानकर उसके हिस्से से कम कर 1/3, 1/3 हिस्से के अनुसार बंटवारा किये जाने का आदेश पारित किया है जबकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त रूप से रामचन्द्र, गोकुल, व प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 द्वारा बेचान की गई थी जिसकी राशि 250000 रूपये संयुक्त रूप से प्राप्त कर उक्त राशि में से 75000 रूपये गोकुल को व 75000 रूपये रामचन्द्र को हिस्से में दिये गये तथा अपीलांट का 100000 रूपये का हिस्सा भी मृतक रामचन्द्र को दे दिया जिससे ग्राम कोल्हूखेड़ी की आराजी खसरा नम्बर 58 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 67 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 95 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा कय कर मृतक गोकुल के नाम विकय पत्र का पंजीयन कराया गया जो संयुक्त हिन्दू

(भावना राघव गुर्जर)

परिवार की आय से बनायी गई जायदाद है । इसी प्रकार मृतक रामचन्द्र को उसके हिस्से के रूप में जमीन खरीदकर दी गई जो उसके द्वारा ग्राम परोलिया में खसरा नम्बर 421 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 425 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 426 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 427 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा कुल 4 किता की 13 बीघा व ग्राम कोल्हूखेड़ी में आराजी खसरा नम्बर 227 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा कय कर मृतक रामचन्द्र द्वारा अपनी पुत्रवधु कृष्णा कुमारी पत्नी कजोड के नाम खाते में दर्ज करवायी गई जो भी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति से बनायी गयी जायदाद है । इस प्रकार ग्राम कोल्हूखेड़ी की आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 59 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में अपीलांट द्वारा अपने खाते की आराजियात में से 1/2 पारिवारिक समझौते के अनुसार दान पत्र कर मृतक रामचन्द्र को दी जाकर उनके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवायी गई इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया तथा अपीलांटगण के हिस्से से 12 बीघा 9 बिस्वा करने के आदेश पारित किये गये जो निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का निर्णय गलत पारित किया है । प्रतिवादी कम 4 लगायत 11 द्वारा प्रतिदावा में स्पष्ट उल्लेख किया कि मौके पर बंटवारा कर रखा था । वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति से खाता संख्या 81 की 12 बीघा 9 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया जिसका प्रतिफल राशि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 व 4 ता 11 ने 1/3, 1/3 हिस्से के रूप में प्राप्त की थी तथा प्रतिवादी कम 4 लगायत 11 के पिता ने दिनांक 10.07.1975 को जर्ये विकय पत्र दिनांक 10.07.1975 से ग्राम कोल्हूखेड़ी की 10 बीघा 2 बिस्वा आराजी कय की गई थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से 12 बीघा 9 बिस्वा अपीलांटगण के हिस्से से कम किये जाने के आदेश पारित किये गये जो निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 24.10.2019 निरस्त किया जावे ।

(भावना राघव गुर्जर)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)

अपील संख्या 152/2019 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में त्रुटि की है । वादी ने ग्राम कोलूखेड़ी व बटावदा ऊंचा तहसील छबड़ा की कुल 60 बीघा 11 बिस्वा आराजी को अपनी पुश्तैनी व पैतृक बताते हुए घोषणा का वाद पेश किया तथा कहा कि गिरधारी लाल के तीन लड़के काशीलाल, रामचन्द्र व गोकुल हुए । अब तीनों का संयुक्त रहना संभव नहीं है इस कारण उनके मध्य बंटवारा किया जावे । ग्राम कोलूखेड़ी की आराजी कुल रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा तथा ग्राम बटावदा ऊचा की आराजी 54 बीघा 3 बिस्वा व ग्राम कोलूखेड़ी की 1 बीघा 8 बिस्वा तथा ग्राम कोलूखेड़ी रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा एवं ग्राम कोलूखेडी की 4 किता रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा आराजी का बेचान नारायण, भवानीशंकर, रामरतन किया है इसलिए यह भूमि उनके हिस्से से कम की जावे । संयुक्त खाते की आराजी पर प्रत्येक खातेदार का बराबर बराबर हक व हिस्सा होता है । यदि किसी खातेदार की भूमि अकेले के नाम पर है तो उस पर उसी का कब्जा माना जावेगा तथा मद नम्बर 10 की भूमि जिस पर प्रतिवादी कम 4 लगायत 11 काबिज है जो इस प्रकरण में अपीलांट है का कब्जा ग्राम कोलूखेड़ी की 5 किता रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा पर माना है तथा शेष आराजी पर भी कब्जा माना है । इस प्रकार कुल 15 बीघा 14 बिस्वा पर अपीलांट का कब्जा माना है । वाद पेश करने पर अपीलांट ने अपना जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया था जिससे स्पष्ट है कि ग्राम बटवारा ऊचा की खसरा नम्बर 260 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा ग्राम कोलूखेडी की खसरा नम्बर 230 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा उनके कब्जे में चली आ रही है तथा खतौनी सं. 14 की आराजी कुल 5 किता 10 बीघा 2 बिस्वा आराजी अपीलांट के पिता गोकुल की खरीदशुदा भूमि है जो गोकुल ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद की है जो इंतकाल नम्बर 66 दिनांक 21.09.1975 से गोकुल पुत्र गिरधारी के नाम

(भावना राघव गुर्जर)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

रजिस्टर्ड बेचाननामे से होने के कारण दर्ज हुई है । जिसका नोट जमाबंदी कोलूखेडी सं. 2031–34 में लगा हुआ है । यह आराजी पूर्व में कौशल्या बाई बेवा कल्ला के नाम दर्ज थी तथा कौशल्या बाई से जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामे से अपीलांट के पिता गोकुल पुत्र गिरधारी के नाम दर्ज हुई है । उक्त वादग्रस्त आराजी 10 बीघा 2 बिस्वा गोकुल की स्वार्जित सम्पत्ति थी अधीनस्थ न्यायालय ने इसको पैतृक मानकर दीगर पैतृक भूमियों में शामिल करके जो बंटवारा किया है वह त्रुटिपूर्ण है । पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित होता है कि गोकुल द्वारा जो रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.09.1975 को सुशीला बाई से गोकुल ने अपने पक्ष में करवाया है वह रकम गोकुल ने पुश्तैनी सम्पत्ति बेचकर रकम इकठ्ठी की हो फिर भी इस तनकी का निर्णय अपीलांट के विरूद्ध करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2019 अपास्त किया जाये ।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई । रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

अपीलांट अपील के तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जो विधिक आधार पर अमान्य हो।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 146/2019 एवं 152/2019 अपीलांट अस्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2019 यथावत रखा जाता है।

(भावना राघव गुर्जर)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 30.07.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

भावना राघव गुर्जर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 146 / 2019

1– नारायण आत्मज काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– भवानीशंकर आत्मज काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– रामरतन आत्मज काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... **अपीलांट**

बनाम

1– कजोड़लाल आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– मूली बाई आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– गायत्री बाई आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– बद्रीबाई आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– बृजमोहन आत्मज गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी हाल गड़ेपान, जिला कोटा

5– लड्डूगोपाल आत्मज गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी हाल मोडक रामगंजमण्डी, जिला कोटा

6– रामकरण आत्मज गोकुल, गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

7– शांतिबाई पत्नी स्वर्गीय गोकुल, गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, बारां

8– जानकी बाई पुत्री गोकुल पत्नी गिर्राज प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी जलवाडा

9– कांतिबाई पुत्री गोकुल पत्नी सरवेश्वर, जाति ब्राहमण, निवासी ईसागढ़, मध्य प्रदेश

10– कलावती बाई पुत्री गोकुल पत्नी प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी तेलफैक्ट्री बारां, जिला बारां

11– इन्द्रा बाई पुत्री गोकुल पत्नी राजेन्द्र कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी खजुरिया मध्य प्रदेश

12– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा, बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या 152 / 2019

1– बृजमोहन आत्मज गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी हाल गड़ेपान, जिला कोटा

2– लड्डूगोपाल आत्मज गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी हाल मोडक रामगंजमण्डी, जिला कोटा

3– रामकरण आत्मज गोकुल, गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– शांतिबाई पत्नी स्वर्गीय गोकुल, गोकुल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5– जानकी बाई पुत्री गोकुल पत्नी गिर्राज प्रसाद, जाति ब्राहमण, निवासी जलवाडा

1– कजोड़लाल आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– मूली बाई आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– गायत्री बाई आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– बद्रीबाई आत्मज रामचन्द्र, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5– नारायण आत्मज काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

6– भवानीशंकर आत्मज काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

कांतिबाई पुत्री गोकुल पत्नी सरवेश्वर, जाति ब्राहमण, निवासी ईसागढ़, मध्य प्रदेश

7— कलावती बाई पुत्री गोकुल पत्नी प्रदीप कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी तेलफैक्ट्री बारां, जिला बारां

8— इन्द्रा बाई पुत्री गोकुल पत्नी राजेन्द्र कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी खजुरिया मध्य प्रदेश

.... अपीलांट

7— रामरतन आत्मज काशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी कोल्हूखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

8— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील नं. **146 / 2019 व 152 / 2019** एवं नाराजगी डिकी अदालत — **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
मु.द.नं **26 / 2018** प्राथमिक डिकी दिनांक **24.10.2019**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 28 माह **07** सन् **2020**

हाजरी **श्री ओ.पी.मेहता एव बी.एल.जैन** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री हरिओम चतुर्वेदी** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :—

दोनों अपीले अपील संख्या 146 / 2019 एवं 152 / 2019 अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 24.10.2019 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 30 माह **07** सन् **2020** को जारी किया गया ।

(भावना राघव गुर्जर)
भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा राज.